न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 35 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 146

नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह निवासी चक 23 पीएसए तहसील रायसिंहनगर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक / रीडर / 2024 / 1301 दिनांक 21.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में कार्यालय के पत्रांक / रीडर / 2024 / 1269 दिनांक 18.07.2024 को प्रार्थी को जवाब प्रेषित कर दिया गया था।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं होने के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ पत्र दिनांक 18.07.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर जवाब प्रेषित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब साधारण डाक द्वारा प्रेषित किया जाना अंकित किया गया हैं।

इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के द्वारा सूचना चाही गयी थी कि –

"सन् 2020,21 में चक 25 पीएस के मु.नं. 10 की पंचमुखी कालोनी में वीरपाल कौर द्वारा नरेन्द्र साहू के पक्ष में कृषि भूमि पर बने भवनों की जो पंजीयन फीस जमा करवाई गई है, उन सब की प्रमाणित प्रति दी जावे।"

तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत छायाप्रति पत्र दिनांक 18.07.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी के अनुसार "किसी भी पंजीकृत दस्तावेज की प्रतिलिपि हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा उपरांत दस्तावेज संख्या या दस्तावेज पंजीयन संख्या या दस्तावेज पंजीयन दिनांक एवं पक्षकारों के नाम से ही दस्तातेज की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।"

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक से वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टियां अंकित किया जाना अपेक्षित हैं। लोक सूचना अधिकारी से सूचना जिस स्वरूप में उपलब्ध हो उसी स्वरूप में प्रदान किया जाना तथा कार्यालय संसाधनों को प्रभावित करते हुए सूचना की तालाश कर आवेदक को उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं हैं। हम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पारित विनिश्चय से सहमत हैं। अपील अस्वीकार योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)